दिनांक: 20/06/2023

परिशिष्ट - 'ख'

(संशोधित) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के कार्यान्वयन के लिए फील्ड कार्यालयों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

ईपीएफएस 1952 के पैरा 26 (6) के अंतर्गत संयुक्त विकल्प का प्रमाण

प्रश्न 1: परिपत्र सं.पेंशन/2022/54877/15149 दिनांक 29.12.2022 एवं परिपत्र सं. पेंशन/2022/56259/16541 दिनांक 20.02.2023 ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 26(6) के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा विधिवत सत्यापित संयुक्त विकल्प के प्रमाण की आवश्यकता निर्दिष्ट करते हैं। पैरा 26(6) के अंतर्गत संयुक्त विकल्प के प्रमाण के रूप में कौन से दस्तावेजी साक्ष्य माने जा सकते हैं?

उत्तर. 1:

1. विकल्प / संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करते समय आवेदक द्वारा पैरा 26 (6) के अंतर्गत अपलोड की गई, अथवा कार्यालय में उपलब्ध अनुमति ।

2. यदि पैरा 26(6) के अंतर्गत अनुमति आसानी से उपलब्ध नहीं है तो क्षेत्रीय कार्यालयों को सत्यापित करना चाहिए कि:

क) भ.नि. के नियोक्ता के हिस्से के अंशदान का भगुतान, कर्मचारी के, उस समय की वैधानिक सीमा 5000/6500/15000 रुपये प्रति माह, से ऊपर के वेतन पर, जिस दिन से वेतन, वेतन सीमा से अधिक हो गया था अथवा 16.11.95 से, जो भी बाद में हो, आज की तारीख तक/ सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति की तारीख किया गया , जैसा भी मामला हो; और

ख) नियोक्ता द्वारा देय प्रशासनिक शुल्क का भुगतान कर दिया गया है; और

ग) प्राप्त अंशदान के आधार पर, ईपीएफएस, 1952 के पैरा 60 के अनुसार कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में ब्याज को अद्यतित किया गया है; और

घ) पैरा 26(6) के अंतर्गत संयुक्त विकल्प और अनुमति के प्रमाण के रूप में विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

- विकल्प/संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए आवेदन के साथ नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत वेतन विवरण

- नियोक्ता द्वारा प्रमाणित नियोक्ता से प्राप्त कोई भी वेतन पर्ची/पत्र
- नियोक्ता से संयुक्त अनुरोध और वचन पत्र की प्रति
- 04.11.2022 से पहले जारी भविष्य निधि कार्यालय से ऐसा पत्र जो उच्च वेतन पर भविष्य निधि अंशदान दर्शाता है

वे आवेदक जो उपर्युक्त 2(क) से(घ) में अर्हता प्राप्त करते हैं और वास्तविक (उच्च) वेतन पर पहले से ही अंशदान कर रहे हैं/सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता तक अंशदान कर चुके हैं, यदि उन्होंने अपने संयुक्त अनुरोध और नियोक्ता के वचन पत्र को प्रस्तुत नहीं किया है, तो वे इसे उनके अंतिम नियोक्ता के माध्यम से अंतिम दावा निपटान के समय जमा कर सकते हैं। । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के अनुसार उच्च वेतन पर पेंशन प्रदान करने से पहले किसी भी समय पेंशनभोक्ताओं/सदस्यों द्वारा पैरा 26(6) (प्रोफार्मा संलग्न) के अंतर्गत अनुमति के लिए संयुक्त अनुरोध और नियोक्ता का वचन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

प्रश्न 2: विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन दाखिल करते समय, ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 26(6) के अंतर्गत संयुक्त विकल्प के प्रमाण के रूप में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। क्या इस आधार पर इस आवेदन/संयुक्त विकल्प को अस्वीकार किया जा सकता है?

उत्तर. 2: जी नहीं, क्षे.भ.नि.आ उत्तर 1 में उल्लिखित किसी दस्तावेज़ को नियोक्ता से प्राप्त करेगा और विकल्प / संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए कोई आवेदन केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, यदि अन्यथा पात्र हो। यह सुनिश्चित करना क्षे.भ.नि.आ का कर्तव्य होगा कि ऊपर दिए गए उत्तर 1 में उल्लिखित कोई भी प्रमाण नियोक्ता से प्राप्त किया गया है।

<u>छूट प्राप्त भविष्य निधि स्थापनाओं के सदस्य</u>

प्रश्न 3: यदि भविष्य निधि छूट प्राप्त स्थापना के किसी सदस्य/पिछले सदस्य ने ट्रस्ट के नियमों के अंतर्गत उच्च वेतन पर अंशदान के लिए नियोक्ता से ट्रस्ट को संयुक्त अनुरोध और वचन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, तो ऐसे मामलों को कैसे निपटाया जाएगा?

उत्तर. 3: मामलों को उसी तरह से निपटाया जाएगा जैसा ऊपर दिए गए उत्तर 1 और 2 में स्पष्ट किया गया है।

<u>पेंशन की गणना</u>

प्रश्न 4: सदस्य पेंशन गणना के लिए लागू होने वाला फॉर्मूला क्या होगा?

उत्तर. 4: पेंशन की गणना ईपीएस 95 के पैरा 12 के अनुसार होगी। पेंशन शुरू होने की तारीख पेंशन योग्य सेवा, पेंशन योग्य वेतन और पेंशन की गणना के लिए लागू सूत्र का निर्धारण करेगी।

प्रश्न 5: उच्चतर वेतन पर पेंशन के पात्र ईपीएस, 95 के सदस्य जो 01.09.2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए, लेकिन जहां पेंशन प्रारंभ होने की तारीख 01.09.2014 से पहले है, उनके लिए सदस्य पेंशन योग्य वेतन की गणना कैसे की जाएगी ?

उत्तर. 5: चूंकि पेंशन के प्रारंभ होने की तिथि 01.09.2014 से पहले है, पेंशन योग्य वेतन की गणना पेंशन निधि की सदस्यता से बाहर निकलने की तारीख से पूर्व 12 महीने की अवधि में सेवा की अंशदायी अवधि के दौरान प्राप्त औसत मासिक वेतन के आधार पर की जाएगी।

प्रश्न 6 उच्चतर वेतन पर पेंशन के लिए पात्र ईपीएस, 95 के सदस्य, जो 01.09.2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए लेकिन जहां पेंशन प्रारंभ होने की तारीख 01.09.2014 को या उसके बाद है, उनके लिए सदस्य पेंशन योग्य वेतन की गणना कैसे की जाएगी?

उत्तर. 6: चूंकि पेंशन के प्रारंभ होने की तिथि 01.09.2014 को या उसके बाद है, सदस्य के पेंशन योग्य वेतन की गणना सदस्यता से बाहर निकलने की तारीख से पूर्व 60 महीने की अवधि में सेवा की अंशदायी अवधि के दौरान प्राप्त औसत मासिक वेतन के आधार पर की जाएगी।

प्रश्न 7: ईपीएस, 1995 के सदस्य जो 01.09.2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, के सदस्य पेंशन योग्य वेतन की गणना कैसे की जाएगी?

उत्तर. 7: सदस्य के पेंशन योग्य वेतन की गणना पेंशन प्रारंभ होने की तिथि पर निर्भर करेगी। उदाहरण के लिए:-

i. '**ए**' 01.01.2015 को 60 वर्ष की आयु में स्थापना '**X**' से सेवानिवृत्त हुआ। भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 01.01.2015 है, ईपीएस, 1995 हेतु उन्हें 58 वर्ष की आयु में यानी 01.09.2014 से पहले सेवानिवृत्त माना जाएगा। तदनुसार, उनके पेंशन योग्य वेतन की गणना पेंशन निधि की सदस्यता से बाहर निकलने की तारीख से पूर्व **12 महीने** की अवधि में सेवा की अंशदायी अवधि के दौरान प्राप्त औसत मासिक वेतन के आधार पर की जाएगी।
ii. '**बी**' 01.01.2012 को 50 वर्ष की आयु में स्थापना '**X**' से सेवानिवृत्त हुआ। भले ही वह 2012 में सेवानिवृत्त हुए हों, लेकिन वे 58 वर्ष की आयु में यानी 01.09.2014 के बाद पेंशन लेने का विकल्प चुन सकते हैं। तदनुसार, उनके पेंशन योग्य वेतन की गणना पेंशन निधि की सदस्यता से बाहर निकलने की तारीख से पूर्व **60 महीने** की अवधि में सेवा की अंशदायी अवधि के दौरान प्राप्त औसत मासिक वेतन के आधार पर की जाएगी।

प्रश्न 8: एक सदस्य भविष्य में सेवानिवृत्त होगा (उदाहरण के लिए वर्ष 2030 में)। उनकी पेंशन की गणना कैसे होगी?

उत्तर. 8: पेंशन की गणना ईपीएस, 1995 के उन उपबंधों के आधार पर की जाएगी, जो पेंशन शुरू होने की तारीख पर मौजूद होंगे।

ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 26(6) के तहत संयुक्त अनुरोध के लिए प्रोफोर्मा

(कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं अन्य बनाम सुनील कुमार बी और अन्य के मामले में वर्ष 2022 की सिविल अपील संख्या 8143-8144 [2019 की एसएलपी (सी) संख्या 8658-8659) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04 नवंबर, 2022 के निर्णय के क्रियान्वयन हेतु)

सेवा में,

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
क्षेत्रीय कार्यालय…......

मैं ………. ईपीएफ योजना, 1952 का एक मौजूदा सदस्य हूं जिसका यूएएन ….. ...है। मैंने पैरा 26(6) के उपबंधों के साथ-साथ योजना के पैरा 2 के अंतर्गत 'वेतन' की परिभाषा को पढ़ और समझ लिया है। मैं सांविधिक वेतन सीमा (वर्तमान में 15,000 रुपये प्रति माह) से अधिक वास्तविक (उच्चतर) वेतन पर दिनांक...........से अपने ईपीएफ में अंशदान करना चाहता/चाहती हूं और तदनुसार, मै मेरे वास्तविक (उच्चतर) वेतन पर अंशदान करने का मेरा विकल्प प्रस्तुत करता/करती हूँ।

अथवा

मैं...... पैरा 26(6) और ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 2 के तहत उल्लिखित 'वेतन' और 'छूट प्राप्त कर्मचारी' की परिभाषाओं को पढ़ने और समझने के बाद, एतददवारा घोषणा करता/करती हूं कि मैं योजना के पैरा 2 (एफ) (ii) के अनुसार 'छूट प्राप्त कर्मचारी' हूं और मैं योजना के सदस्य के रूप में नामांकित नहीं हूं,क्योंकि मेरा वेतन मेरी स्थापना................... जिसका पीएफ कोड .... है, में जॉइन करने की तारीख से सांविधिक वेतन सीमा (वर्तमान में 15,000/- रुपये प्रति माह)से ऊपर है । अब, मैं..................से ई.पी.एफ. योजना, 1952 का सदस्य बनना चाहता/चाहती हूं और तदनुसार एतद्द्वारा इसके लिए अपने विकल्प का प्रयोग करता/करती हूं। मैं वास्तविक (उच्चतर) वेतन पर कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान करने का वचन देता/देती हूँ।

मैं ………, कभनि एवं प्र.उ. अधिनियम, 1952 की धारा 2 (ई) के उपबंधों के अनुसार उपर्युक्त कर्मचारी के संबंध में नियोक्ता होने के नाते, और सदस्य/मौजूदा सदस्य, जो सांविधिक वेतन सीमा से अधिक वास्तविक वेतन पर अंशदान दे रहा है/मौजूदा सदस्य जिनका वास्तविक वेतन सांविधिक वेतन सीमा से अधिक है, के नामांकन के उद्देश्य से एक संयुक्त अनुरोध प्रस्तुत कर रहा/रही हूं।

स्थानः नियोक्ता के हस्ताक्षर

नाम एवं नियोक्ता का पदनाम कर्मचारी का नाम एवं हस्ताक्षर

(कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं अन्य बनाम सुनील कुमार बी और अन्य के मामले में वर्ष 2022 की सिविल अपील संख्या 8143-8144 [2019 की एसएलपी (सी) संख्या 8658-8659) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04 नवंबर, 2022 के निर्णय के क्रियान्वयन हेतु)

नियोक्ता द्वारा वचनपत्र

मैं ………, कभनि एवं प्र.उ. अधिनियम, 1952 की धारा 2 (ई) के उपबंधों के अनुसार, उपर्युक्त कर्मचारी के संबंध में नियोक्ता होने के नाते, उक्त कर्मचारी के सम्बन्ध में उसके सांविधिक वेतन सीमा से अधिक वेतन पर किये गए अंशदान सहित उसके द्वारा किये गए क.भ.नि. अंशदान के लिए निर्धारित दरों पर प्रशासनिक शुल्क का भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ।

मैं आगे ऐसे कर्मचारी के संबंध में......... से कभनि एवं प्र.उ. अधिनियम, 1952 के तहत सभी सांविधिक उपबंधों और उसके तहत बनाई गई योजनाओं का अनुपालन करने का वचन देता/देती हूं।

स्थान:

दिनांक:

नियोक्ता के हस्ताक्षर

नियोक्ता का नाम एवं पदनाम

(कार्यालय प्रयोग हेतु)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

उपर्युक्त संयुक्त अनुरोध को __________ से इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि स्थापना के रिकॉर्ड और कर्मचारी/सदस्य* के खाते में आवश्यक प्रविष्टियां की जाएं।

संभंधित कार्मिक　　　　　लेखा अधिकारी　　　　　स.भ.नि.आ.

सेवा में,

नियोक्ता (स्थापना) को सदस्य को सूचना देने हेतु

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>प्रश्न</th><th>ऐरर कोड</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>संयुक्त विकल्प को ऑनलाइन सबमिट करते समय, मुझे ऐरर मैसेज मिलता है ERR SQEO6: ERR SQEO6: Name is not as per UAN?</td><td>ERR SQEO6</td><td>कृपया निम्नलिखित रूप में नाम उपलब्ध कराएं:<table>
<tr><td>1.</td><td>संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन</td><td>पीपीओ के अनुसार नाम</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>संयुक्त विकल्प</td><td>यूएएन के अनुसार नाम</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>संयुक्त विकल्प को ऑनलाइन सबमिट करते समय, मुझे ऐरर मैसेज मिलता है Error message like ERR_SQEOO : No detail found against PPO.</td><td>ERR_SQEOO</td><td>सदस्य को अपने पीपीओ या यूएएन में दिए गए विवरण के अनुसार ऑनलाइन आवेदन फाईल करना चाहिए ।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>संयुक्त विकल्प को ऑनलाइन सबमिट करते समय, मुझे ऐरर मैसेज मिलता है “Establishment not available against this member i.d.”. ERR_SQE-07</td><td>ERR_SQE-07</td><td>आपकी सदस्य आईडी पीपीओ विवरण से मेल नहीं खाती । कृपया सही सदस्य आईडी दर्ज करें और दोबारा प्रयास करें।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>संयुक्त विकल्प को ऑनलाइन सबमिट करते समय, मुझे ऐरर मैसेज मिलता है Error code ERR: ENC_DEC_OO Form parameter tempered.</td><td>Error code ERR: ENC_DEC_OO</td><td>इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं :
1. स्क्रीन बहुत अधिक समय तक निष्क्रिय रहती है। - कृपया इसे रीफ्रेश/बंद करें और फिर से सबमिट करने का प्रयास करें।
2 जन्म तिथि या नाम के मिसमैच होने पर, कृपया निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करें:</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>1.</td><td>संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन</td><td>पीपीओ के अनुसार नाम/जन्म तिथि</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>संयुक्त विकल्प</td><td>यूएएन के अनुसार नाम/ जन्म तिथि</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>ऑनलाइन संयुक्त विकल्प सबमिट करते समय, मुझे त्रुटि संदेश मिलता है। Error code ERR_SQE(1422) : Exact fetch returns more than requested number of rows.</td>
<td>Error code ERR_SQE(1422)</td>
<td>इस समस्या को ठीक कर लिया गया है। कृपया पुन: सबमिट करने का प्रयास करें</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>मैं पीपीओ और आधार में नाम के मिसमैच होने के कारण यूएएन को सक्रिय नहीं कर पा रहा हूं और इस तरह उच्चतर पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहा हूं।</td>
<td></td>
<td>यूएएन को सक्रिय करने की आवश्यकता नहीं है
<table>
<tr><td>1.</td><td>संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन</td><td>पीपीओ के अनुसार नाम/ जन्म तिथि</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>संयुक्त विकल्प</td><td>यूएएन के अनुसार नाम/ जन्म तिथि</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>पहले से सबमिट किए गए ऑनलाइन विकल्प में सुधार करने के लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है, इसलिए त्रुटि को सुधारने/सही दस्तावेज़ अपलोड करने का कोई तरीका उपलब्ध नहीं है।</td>
<td></td>
<td>जो लोग एक नया आवेदन दायर करना चाहते हैं, उनके लिए डिलीट एप्लिकेशन बटन प्रदान किया गया है हालांकि, इसका उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब नियोक्ता ने आवेदन पर कार्रवाई नहीं की हो।

ऐसे मामलों में जहां नियोक्ता ने आवेदन पर कार्रवाई की है, किसी भी स्पष्टीकरण या</td>
</tr>
</table>

			सुधार के लिए एक अवसर दिया जाएगा। जब आवदेन नियोक्ता द्वारा प्रोसेस किया गया हो तो सदस्य को फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है और मामले को नियोक्ता के वापस भेजे जाने पर उत्तर में परिवर्तन पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।
8.	ईपीएस-1995 के पैरा 11(3) और 11(4) के तहत संयुक्त विकल्पों का प्रयोग करने के लिए मेरा अनुरोध सफलतापूर्वक ऑनलाइन सब्मिट किया गया था। लेकिन सब्मिट करने के दौरान भूलवश त्रुटि हो जाने के कारण नियोक्ता ने आवेदन को अस्वीकार कर दिया ताकि नियोक्ता सही ढंग से अनुरोध सब्मिट कर सके। लेकिन मैं पोर्टल पर दूसरी बार विकल्प प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हूँ।		परिपत्र संख्या पेंशन/पीओएचडब्ल्यू/2023/69114/615 दिनांक 03.05.2023 के अनुसार किसी भी स्पष्टीकरण या सुधार के लिए एक अवसर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां नियोक्ता ने आवेदन पर कार्रवाई की है, किसी भी स्पष्टीकरण या सुधार के लिए एक अवसर दिया जाएगा। जब आवदेन नियोक्ता द्वारा प्रोसेस किया गया हो तो सदस्य को फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है और मामले को नियोक्ता के वापस भेजे जाने पर उत्तर में परिवर्तन पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।
9.	मैं पेंशन निधि में पिछले अंशदान के लिए अपनी बकाया राशि का अनुमान कैसे लगा सकता हूं।		राशि का अनुमान लगाने के लिए एक टूल शीघ्र ही उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, पात्र आवेदकों के आवेदन और वेतन विवरण की पुष्टि करने के बाद संबंधित कार्यालय द्वारा डिमांड नोटिस में सटीक राशि की सूचना दी जाएगी।